न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 17 / 2019(2019 / 00132)

अनवान : —

1. सुरेश देवी पूनियां पत्नी रतनसिंह चौधरी निवासी ढाणी बिश्नोईयान हॉल निवासी मोहनलाल बहालवाला रोड़—बेली हावड़ा वेस्ट बंगाल।

— प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री योगेश शर्मा —प्रार्थीया
राजपैरोकार —राज0 सरकार

निर्णय

दिनांक : 04/12/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा चक 9 एमएसआर के खाता सं0 64 / 59 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 16 ता 19, 22 ता 24 मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 2 ता 4, 6 ता 9, 12 ता 19, 25 मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 5 इस प्रकार कुल किता 24 की कुल 6.0720 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीया के नाम 140 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का सही नाम सुरेश देवी पूनिया के स्थान पर सुरेश देवी पत्नी रतनसिंह दर्ज हो गया।

प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सुरेश देवी पूनियां की बजाऐ सुरेशदेवी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया का आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड पासपोर्ट में प्रार्थीया का नाम सुरेश देवी पूनियां दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सरदारगढ़िया के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थीया का उपरोक्त जमाबन्दी में सुरेश देवी पूनियां की बजाऐ सुरेशदेवी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकती है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकती है। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सुरेशदेवी के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम सुरेश देवी पूनिया दर्ज करवाना चाहती है जो कि मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:28:09 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सुरेश पूनियां के स्थान पर सुरेशदेवी दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला—हनुमानगढ़)

लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया का नाम सुरेश देवी दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थीया के चक 9 एएमएस में खाता संख्या 64/59 में प्रार्थीया का नाम सुरेश देवी पूनियां दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी दारासिंह पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी ढाणी बिश्नोईयान तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये जो चक 9 एमएसआर जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 64/59 प्रदर्श 1 है, आधार कार्ड प्रदर्श 2ए, पहचान पत्र प्रदर्श 3ए, पेनकार्ड प्रदर्श 4ए, भारत गणराज्य/पासपोर्ट प्रदर्श 5ए, मूल मुख्त्यारनामा दारासिंह प्रदर्श 6, सरपंच ग्राम पंचायत सरदारगढ़िया के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने ग्राम रोही मौजा चक 9 एमएसआर के खाता सं0 64/59 की कुल 6.072 हैक्टेयर में प्रार्थीया के नाम 140 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय प्रार्थीया का सही नाम सुरेश देवी पूनियां के स्थान पर सुरेशदेवी दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थीया ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड व पासपोर्ट पेश किये है जिनमें प्रार्थीया का नाम सुरेश देवी पूनियां अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 9 एमएसआर के खाता सं0 64/59 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थीया का नाम **''सुरेशदेवी के स्थान पर सुरेश देवी पूनियां''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच सुरेशदेवी पत्नी रतनसिंह चौधरी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए सुरेशदेवी ही प्रभावी मानी जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेवार होगी। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:28:09 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ